

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/110/2014-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 11/12/2014

सेवा में

नि.

श्री पवन अग्रवाल,
जीलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक, मुरादाबाद
पिन-244001

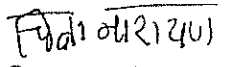
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 11.12.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (पी पी प्रभाग, गृह मंत्रालय से अंतरित होकर इस अनुभाग में दिनांक 10.01.2014 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

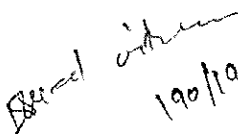
2. जहां तक आपके आर टी आई आवेदन का संबंध है, ऐसी कोई सूचना इस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है/ रखी नहीं जाती है। तथापि, मामला दिल्ली पुलिस से संबंधित है, इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपका आवेदन अपेक्षित सूचना सीधे आपको प्रदान करने के लिए उन्हें अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(चित्रा नारायण)
अवर सचिव (डी पी-1)

प्रति प्रेषित:-

3. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करा दिया है।


190/191
10/2

